सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.5.19	वादी मय वकील उप.। प्रतिवादी जगदीश मय वकील उप.। सरकारी पैरोकार उप.। वादी की ओर से श्री नरेश कुमार Adv. ने प्र. पत्र, वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी श्री जगदीश की ओर से श्री मनोहरदास वैष्णव Adv. ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी ने प्र.पत्र जरिये राजीनामा प्रकरण निस्तारण करने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में लोक अदालत की भावना से दावे के संदर्भित विवादित कृषि भूमि पर वास्तविक भौतिक कब्जा भींजाराम पुत्र हजारीराम एवं इनकी आल औलाद का होने से हम दोनों पक्षकारान के आपस में राजीनामा हो जाने से उक्त प्रकरण को अब हम चलाना नहीं चाहते है। राज्य सरकार के खिलाफ हम किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहते है। उक्त प्रकरण में भींजाराम पुत्र हजारीराम एवं इनके वारिसान जगदीश पुत्र भींजाराम एवं कमला बेवा भींजाराम	LTI दुर्गाराम मैं दुर्गाराम को पहिचानता हूं 30/5/19 जगदीश Identified by Manohar Adv

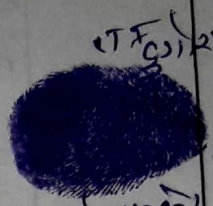

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पक्षकार बनाये जाते है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम दोनों पक्षकारान के आपस में राजीनामा होजाने से उक्त प्रकरण को अब आगे नहीं चलाना चाहते है लिहाजा उक्त प्रकरण जरिये राजीनामा विड्रो फरमावें। प्र. पत्र पर वादी दुर्गा के अंगुष्ठ निशान एवं श्री जगदीश के हस्ताक्षर है।
	पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष को सुना गया। वादी द्वारा यह वाद धारा 88,91 सपठित धारा 188 R.T.Act, 1955 के तहत राजस्थान सरकार के विरुद्ध दिनांक 20.7.2010 को वाद प्रस्तुत किया गया था तत्पश्चात दिनांक 09.12.2010 को श्री जगदीश वल्द बीजाराम जाति भार निवासी आकेली ने इस वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना अंतर्गत O.1 R.10 सपठित धारा 151 CPC के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना को दिनांक 01.07.2013 को आदेश पारित कर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थी जगदीश द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राज० अजमेर में निगरानी सं. निगरानी/टीए/5171/2013/जिलापाली प्रस्तुत की गई जिसे प्रार्थी द्वारा विड्रो कर लेने से दिनांक 03.04.2019 को आदेश पारित कर माननीय रा.मं. द्वारा निगरानी को जरिये विड्रो खारिज कर दिया गया।
सहायक कलेक्टर पाली (राज.)	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2013 को पारित आदेश यथावत रहने से इस वाद में प्रार्थी श्री जगदीश पक्षकार नहीं रह गया जिसके कारण इस वाद में श्री जगदीश को राजीनामा करने का अधिकार नहीं है। वादी इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा विड्रो करने का निवेदन किया गया है। अत: वादी का प्रा. पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर वादवादीयान्स 88, 91 सपठित धारा 188 R.T. Act, 1955 का जरिये विड्रो खारिज किया जाता है। डिग्री परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। सहायक कलेक्टर पाली (राज.)	

Scanned by CamScanner